

दिनांक-28.08.2026 को विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में विभिन्न विषयों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

रोस्टर क्लीरियेंस से संबंधित

- ❖ विहित प्रपत्र में लिपिक संवर्ग का डाटा सभी अधीक्षण अभियंताओं से प्राप्त किया जा चुका है। कतिपय अंचलों से सत्यापित सेवापुस्त की अभिप्रमाणित प्रति अप्राप्त है, जिसे प्राप्त करने हेतु प्रशाखा पदाधिकारी को निदेशित किया गया। उक्त डाटा को MIS Portal में Upload करने हेतु Module develop कर उक्त डाटा को Upload करने का निदेश दिया गया। समीक्षा के क्रम में निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद का एक महीने में रोस्टर क्लीरियेंस करने का निदेश दिया गया। साथ ही जिन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कीमैन-सह-चौकीदार, खलासी एवं परिचारी का रोस्टर अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है, उनसे प्राप्त कर रोस्टर क्लीरियेंस संबंधित कार्रवाई एक माह के अंदर पूर्ण करने का निदेश दिया गया। यदि आवश्यक हो तो संबंधित जिलाधिकारी से पत्राचार करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0)

- ❖ सहायक अभियंता (असैनिक) का वर्तमान में रिक्ति तथा काउंसेलिंग में भाग नहीं लेने/योगदान नहीं करने वाले/त्याग पत्र समर्पित करने वाले का अनुशंसा रद्द/नियुक्ति रद्द/त्याग पत्र स्वीकार का आदेश निर्गत होने के उपरांत रोस्टर क्लीरियेंस की कार्रवाई एक सप्ताह में करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0)

कनीय अभियंता (यांत्रिक) का वर्तमान में रिक्त पदों का रोस्टर क्लीरियेंस की कार्रवाई एक सप्ताह में करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0)

लंबित AC/DC/UC विपत्र/महालेखाकार अंकेक्षण

- ❖ पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित की गयी 225 करोड़ रुपये की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु स्मारित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

- ❖ मुख्यालय अंतर्गत लंबित AC/DC विपत्र का समायोजन एक पक्ष के अंदर करने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही जिन प्रमंडलो में 25 लाख से अधिक ए0सी0 विपत्र की राशि लंबित है, उसे चेतावनी देते हुए एक पक्ष के अंदर समायोजित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

- ❖ समीक्षा के क्रम में प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभिन्न प्रमंडलों में सहायक अनुदान मद में निकासी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 101.54 करोड़ लंबित है। जिन प्रमंडलों में एक करोड़ से अधिक राशि लंबित है, उससे स्पष्टीकरण की मांग करते हुए एक पक्ष के अंदर समायोजन करने का निदेश दिया गया एवं शेष प्रमंडलों को स्मारित करने का निदेश दिया गया। साथ ही प्रांजल एवं विभागीय मुख्यालय में लंबित राशि के समायोजन हेतु एक सप्ताह का समय दिया गया।

अनुपालन:- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

- ❖ लेखा परीक्षा दल द्वारा निरीक्षित वर्ष 2008-09 से अब तक विभिन्न प्रमंडलों/अंचलों/प्रक्षेत्रों एवं मुख्यालय में कुल-336 निरीक्षण प्रतिवेदन लंबित है। इस संबंध में सभी संबंधितों को चेतावनी के साथ 15 दिनों के अंदर लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। प्रमंडलवार विभागीय समीक्षा बैठक में निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधी बिन्दु को सम्मिलित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

भूमिविवाद

- ❖ सभी प्रमंडलों को छुटे हुए टोलों में भूमि उपलब्धता से संबंधित data MIS पर एक सप्ताह के अंदर Update करने हेतु पत्राचार करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- विशेष कार्य पदाधिकारी।

बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना

- ❖ सभी बहुग्रामीय जलापूर्ति योजनाओं में बकाया बिजली बिल का अद्यतन स्थिति से अवगत कराने, बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना में संवेदक द्वारा किस-किस पद के कितने लोग रखे गये हैं या कार्यरत हैं इसकी सूची अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। अधौरा बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना की समीक्षा के क्रम में अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन) द्वारा बताया गया कि अधिवाचित NOC हेतु सैद्धांतिक सहमति मिलने की सूचना जल संसाधन विभाग द्वारा दी गयी है। जल संसाधन विभाग से समन्वय कर तीन दिनों के अंदर NOC प्राप्त करने का निदेश दिया गया। Drawing/Design एवं संशोधित प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु एजेंसी एवं कार्यपालक अभियंता को निदेशित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- संबंधित पदाधिकारी।

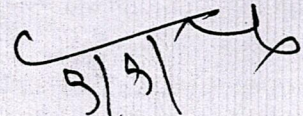
अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।


09.09.26
(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 14/वै० — 101/24-712

दिनांक- 09/9/26

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0) के प्रावैधिक सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आइटी मैनेजर/संबंधित सहायक अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



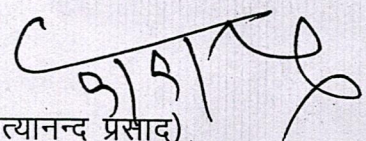
(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 14/वै० — 101/24-712

दिनांक- 09/9/26

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)